न्यायालयः—जिला न्यायाधीश आलोट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश आलोट, जिला रतलाम (म0प्र0)

(समक्ष— महेश कुमार चौहान)

Registration No-RCS HM/72/2022

Filing NO.-RCS HM/500/2022

CNR No-MP4307001991/2022

Filing Date- 14-10-2022

शम्भू पिता शिवलाल दमामी, आयु 27 वर्ष, व्यवसाय मजदूरी, निवासी ग्राम खामरिया, तहसील आलोट, जिला रतलाम, हाल मुकाम आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) ——**आवेदक**

:: **वि रू द्ध** ::

रेखा पति शम्भू दमामी (पिता गोरधनलाल बारेठ), आयु 21 वर्ष, निवासी ग्राम खामरिया, तहसील आलोट, जिला रतलाम, हाल मुकाम ग्राम बालदा, तहसील बालदा, जिला झालावाड़ (राजस्थान) ——**अनावेदिका**

:: निर्णय ::

(आज दिनांक 02—11—2023 को पारित किया गया।)

01— आवेदक की ओर से यह आवेदन अनावेदिका के विरुद्ध हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) के अंतर्गत उनके मध्य वर्ष 2018 में हुए विवाह को भंग करने की घोषणात्मक सहायता बाबत् प्रस्तुत किया है।

02— आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक का विवाह अनावेदिका के साथ हिन्दू जाति रीति रिवाज तथा सप्तपदी विधि अनुसार ग्राम बालदा में सम्पन्न हुआ था। विवाह के पश्चात अनावेदिका आवेदक के निवास स्थान ग्राम खामरिया केवल दो दिन हेतु आई उसके बाद अनावेदिका की परीक्षा चली रही थी, इस कारण अनावदिका उसके घर परीक्षा देने चली गई थी। उसके करीब दो माह बाद आवेदक ने अनावेदिका को लिवा लेने

हेतु खबर पहुंचाई तो अनावेदिका की माता ने कहा कि अभी उसकी लड़की पढ़ाई कर रही है, उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद भेजेंगे। उसके पश्चात अनावेदिका ने करीब 02 वर्ष तक अपनी पढ़ाई पूरी की। अनावेदिका की पढ़ाई पूरी होने के पश्चात आवेदक ने पुनः अनावेदिका को लिवा लेने हेतु खबर पहुंचाई तो अनावेदिका व उसकी माता द्वारा कहा गया कि उसकी पढ़ी लिखी लड़की गांव में नहीं रहेगी। इस कारण आवेदक ग्राम खामरिया छोड़कर नगर आलोट में किराये का कमरा लेकर रहने लगा। उसके पश्चात अनावेदिका आवेदक के साथ्ज्ञ निवास करने हु केवल 01–02 माह तक रही उसके पश्चात अनावेदिका पुनः पढ़ाई का कह कर आवेदक को असहाय अवस्था में छोड़कर पीहर चली गई। आवेदक ने उसके पश्चात अनावेदिका को काफी बार खबर पहुंचाई लेकिन अनावेदिका उसकी पढ़ाई का बहाना करके आवेदक के साथ निवास करने हेतु नहीं आई।

03– आवेदक ने यह भी अभिवचन किया है कि अनावेदिका के कहने पर आवेदक ने आलोट में किराये से मकान लिया लेकिन उसके बावजूद भी अनावेदिका आवेदक को अकेला छोड़कर चली गई। अनावेदिका के पीहर जाने के करीब 03 माह पश्चात आवेदक जब अनावेदिका को लिवा लेने हेतु अनावेदिका के घर ग्राम बालदा गया तो अनावेदिका के पिता ने आवेदक के साथ मारपीट की और कहा कि तू यहां लेने के लिये क्यों आ गया, बिना पूछे कभी भी लड़की को लेने के लिये मत आना। ऐसा कहते हुये अनावेदिका के पिता ने आवेदक को बेईज्जद करके घर से बिना अनावेदिका को साथ पहुंचाये भगा दिया। उक्त घटना की सूचना आवेदक ने घर आकर उसके माता–पिता व रिश्तेदारों को बताई तो सबके द्वारा समझाने पर अनावेदिका के पिता ने करीब 02 माह बाद खबर पहुंचाई कि आकर रेखा को ले जाओ। उसके पश्चात आवेदक अनावेदिका को लिवा लेने हेतु अनावेदिका के घर गया एवं सुखपूर्वक अनावेदिका को लेकर अपने घर आलोट आया लेकिन अनावेदिका के द्वारा आने के पश्चात किराये के मकान में आवेदक के माता–पिता के साथ रहने पर आपत्ती जताई और कहा कि वह उसके माता–पिता के साथ नहीं रह सकती है उसे अकेले उसके साथ उसके माता–पिता से पृथक रहना है। ऐसा कह कर अनावेदिका ने दिन प्रतिदिन आवेदक व उसके माता–पिता का जीवन जीना दुश्वार कर दिया और रोजाना छोटी–छोटी बातों को लेकर लड़ाई–झगड़ा कर क्लेश करना शुरू कर दिया। एक दिन जब आवेदक मजदूरी करने के लिये गया तब अनावेदिका ने आवेदक के माता–पिता को घर से निकाल दिया और कहा कि यदि अपने लड़के का घर बसते हुये देखना चाहते होतो यहां कभी मत आना। ऐसा कहने पर आवेदक के वृद्ध माता–पिता किराये का घर छोड़कर पुनः ग्राम खामरिया चले गये लेकिन उसके पश्चात भी अनावेदिका को आवेदक के साथ रहना रास नहीं आया। आवेदक के माता–पिता के जाने के बाद भी नावेदिका आवेदक के साथ लड़ाई–झगड़ा करती एवं समय पर खाना भी नहीं

बनाती थी और घर का कोई काम भी नहीं करती थी।

04— आवेदक ने यह भी अभिवचन किया है कि अनावेदिका के नानाजी की तबियत खराब होने पर अनावेदिका ने आवेदक को कहा कि उसे उसके नानाजी के हालचाल पूछने जाना है इसलिये आवेदक अनावेदिका को लेकर ग्राम धाता, तहसील पिड़ावा गया, वहां पर जाने के पश्चात अनावेदिका ने आवेदक को कहा कि वह अभी वहीं रूकेगी तुम जाओ। उसके पश्चात अनावेदिका के नानाजी का स्वर्गवास हो गया। उसके पश्चात आवेदक ने अनावेदिका से बातचीत की तो अनावेदिका ने कहा कि नानाजी का कार्यक्रम हो जाये उसके बाद वह उसके साथ चलेगी। आवेदक ने अनावेदिका से कहा कि उसने उसके माता–पिता को घर से भगा दिया, उसे हाथ से खाना बनाकर खाना पड़ता है, जिस कारण उसकी मजदूरी भी प्रभावित होती है, जिस पर अनावेदिका ने कहा कि उसके नानाजी का कार्यक्रम होने दो कार्यक्रम में वह आयेगा तो वह भी उसके साथ आ जायेगी। आवेदक अनावेदिका के नानाजी के कार्यक्रम में गया तो अनावेदिका ने कहा कि कार्यक्रम के अगले दिन सुबह चलेगी। इस कारण आवेदक भी रात्रि अनावेदिका के नानाजी के घर रूका और आवेदक के साथ उसके मामा का लड़का विष्णु व मौसी का लड़का विशाल भी रूके। उसके अलगे दिन जब आवेदक ने अनावेदिका को कहा कि सबह घर चले उसके सेठ का फोन आ रहा है वह उसे मजदूरी से निकाल देगा लेकिन अनावेदिका ने कहा कि वह नहीं आयेगी। आवेदक ने कहा कि उसे घर का काम भी करना पड़ता है और मजदूरी भी करना पड़ती है, वह काफी परेशान है लेकिन अनावेदिका टस से मस नहीं हुई एवं अनावेकिा ने उसके मामा व अन्य रिश्तेदारों को कहा कि वह आवेदक के साथ नहीं जाना चाहती है। इस बात को लेकर अनावेदिका के मामा व अन्य रिश्तेदारों ने आवेदक के साथ एवं विष्णु व विशाल के साथ मारपीट की। आवेदक व उनके भाई जैसे तैसे जान बचाकर भागे तो गांव के लोगों ने कहा कि रिपोर्ट करोगे तो जान से खत्म कर देंगे। इस काण आवेदक अपने घर ग्राम खामरिया आ गया।

05— आवेदक ने यह भी अभिवचन किया है कि उसके पश्चात भी आवेदक ने अनावेदिका के मामा व अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं की क्योंकि आवेदक घर तोड़ना नहीं चाहता था। पुनः आवेदक उसके मौसाजी कालूराम, मामा राधेश्याम, आवेदक के पिता शिवलाल, भाई दिलीप सभी को अनावेदिका के घर भेजा। उक्त सभी रिश्तेदारों के समझाने पर अनावेदिका एवं उसके माता–पिता ने बोला कि एक माह पश्चात आकर ले जाना लेकिन एक माह बितने के बाद जब आवेदक अनावेदिका को लिवा लेने हेतु अनावेदिका के गांव आया तो अनावेदिका के माता–पिता एवं अनावेदिका द्वारा साफ इंकार कर दिया और कहा कि वह कभी भी उसके साथ निवास करने ग्राम खामरिया या आलोट नहीं आयेगी, वह पढ़ा

लिखा नहीं है, अनपढ़ होकर मजदूरी करता है, उसने बी.ए. पास कर रखी है, उसकी कहीं भी नौकरी लग जायेगी, वह उसके साथ उसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकती, वह कहीं ओर शादी कर ले, वह भी कहीं ओर शादी कर लेगी उसका व आवेदक का कोई संबंध नहीं है, इसी कारण उसने आवेदक से कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाये हैं। ऐसा कहकर अनावेदिका ने व उसके माता–पिता ने आवेदक को एवं उसके सथ गये उसके मामा कैलाश को घर से जलील कर के भगा दिया और कहा कि आज के बाद यदि यहां लेने हेतु आये तो उन्हे झूंठे केस में फंसवा देंगे। ऐसा कहकर अनावेदिका ने आवेदक के साथ आने से पूर्ण रूप से इंकार कर दिया।

06– आवेदक ने यह भी अभिवचन किया है कि अनावेदिका द्वारा आवेदक के साथ निवास नहीं करने पर आवेदक द्वारा अनावेदिका के विरूद्ध न्यायालय आलोट में धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम का दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसका प्रकरण क्रमांक आर.सी.एस.एच.एम. 02/2022 होकर दिनांक 16.03.2022 को न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में आदेश पारित करते हुये अनावेदिका को आवेदक के साथ निवास करने हेतु आदेशित किया लेकिन अनावेदिका आज दिनांक तक आवेदक के साथ निवास करने हेतु नहीं आई, जिससे स्पष्ट होता है कि अनावेदिका किसी भी परिस्थिति में आवेदक के साथ दाम्पत्य संबंध स्थापित करना नहीं चाहती है, जिस कारण आवेदक अपने आगामी भविष्य को देखते हुये अनावेदिका के साथ हुये विवाह को विच्छेदित करवाना चाहता है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उभयपक्ष के मध्य हुए विवाह को खण्डित घोषित कर विवाह विच्छेद की निर्णय डिक्री प्रदान करने का निवेदन किया है।

07– आवेदक के आवेदन पत्र की विधिवत सूचना व तामीली के उपरांत अनावेदिका के अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध दिनांक 12.05.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

08– इस प्रकरण के निराकरण में निम्नानुसार विचारणीय प्रश्न हैः–

क्र.	विचारणीय प्रश्न
01–	क्या आवेदक, अनावेदिका के विरूद्ध अधियाचित सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है ?

सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष

09— आवेदक शम्भू आ.सा. 01 ने अपनी एकपक्षीय साक्ष्य में यह बताया है कि उसका विवाह रेखा के साथ वर्ष 2018 में ग्राम बालना, तहसील पीड़ावा, जिला झालावाड़ में संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात रेखा उसकी पत्नी के रूप में उसके साथ दो माह तक निवासरत रही। उक्त दो माह पश्चात उसकी पत्नी रेखा उससे पढ़ाई का बोलकर उसके पीहर चली गई और यह भी बोला था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वह वापस आ जायेगी या खबर पहुंचा देगी तो लेने आ जाना, जिसके बाद उसकी पत्नी ने उसेखबर पहुंचाई थी तो वह उसे लेने गया तो उसकी माता ने कहा कि मेरी लड़की पढ़ी लिखी है गांव में नहीं रहेगी, जिसके बाद उसने आलोट में किराये का मकान लेकर उसकी पत्नी के साथ रहने लगा, जिसके करीब 02 माह तक उसकी पत्नी उसके साथ रही थी। इसके बाद उसकी पत्नी ने उससे उसकी पढ़ाई का कह कर फिर से उसके पीहर चली गई, जिसके तीन माह बाद वह उसकी पत्नी को उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद लेने गया तो अनावेदिका के पिता ने उसके साथ मारपीट कर बोला कि उसकी लड़की को लेने के लिये मत आना तथा उसके पिता ने उसकी बेईज्जती कर उसे घर से निकाल दिया और लड़की को भी साथ्ज्ञ नहीं भेजा, जिसके बाद उसने उक्त घटना उसके परिवार वालों व माता—पिता को बताई। फिर उसके पिता ने उसे दो माह बाद खबर पहुंचायी कि उनकी लड़की को आकर ले जाओ तो वह उसके पिता के कहने पर उसके गांव उसकी पत्नी को लेने गया और उसकी पत्नी को लेकर आया और आलोट में रहने लगा।

10— आवेदक शम्भू आ.सा. 01 ने अपनी एकपक्षीय साक्ष्य में यह भी बताया है कि आलोट में रहने के दौरान उसकी पत्नी ने उससे कहा कि वह उसके माता—पिता के साथ नहीं रहना चाहती है। वह अकेले उसके साथ रहना चाहती है, जिसके बाद उसकी पत्नी ने उसकी अनुपस्थिति में लड़ाई—झगड़ा कर उसके माता—पिता को घर से निकाल दिया तथा उसके साथ अकेले आलोट में रहने लगी, जिसके बाद उसकी पत्नी फिर भी उससे छोटी—छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करती, समय पर खाना नहीं बनाती औ बार—बार फोन पर उसके पीहर बात करती रहती थी, देर तक सोती रहती थी। जिसके एक माह बाद अनावेदिका के पीहर से फोन आया कि नाना की तबीयत खराब हो गई है तो वह उसकी पत्नी को लेकर ग्राम दाता, तहसील पीड़ावा छोड़कर आया तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि थोड़े दिन वह यहीं रहेगी, उसके बाद लेने आ जाना। जिसके 08—10 दिन बाद उसके नाना का स्वर्गवास हो गया फिर वह उसने उसकी पत्नी से पूछता कि कब आओगी तो उसकी पत्नी ने कहा कि कार्यक्रम होने के बाद वह आ जायेगी। फिर वह कार्यक्रम संपन्न होने के एक दिन पहले चला गया था। फिर

उसने कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात उसकी पत्नी को साथ चलने के लिये बोला तो उसके नाना ससुर ने उससे कहा कि रेखा उसके साथ नहीं जायेगी और उसके मामा ससुर के साथ शिवनारायण, भागीरथ, सज्जन और विनोद ने उसके साथ हाथापाई और मारपी की। उसके साथ उसके भाई विशाल व विष्णु थे उनके साथ भी उन्होंने मारपीट की। उसके बाद उक्त लोगों व गांव वालों ने कहा कि अगर रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे, फिर वे अपने गांव वापस आ गये। उसी पत्नी ने उससे कहा कि वह पढ़ी–लिखी होकर बी.ए. पास है और वह अनवढ़ है इसलिये वह उसके साथ्ज्ञ नहीं रहना चाहती है।

11– आवेदक शम्भू आ.सा. 01 ने अपनी एकपक्षीय साक्ष्य में यह भी बताया है कि उसके माता–पिता अनावेदिका को लेने के लिये उसक ेघ्ज्ञर गये थे परन्तु उसने फिर भी आने से इंकार कर दिया। उसके बाद उसने न्यायालय में धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम का दावा लगाया था जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.03.2022 को निर्णय पारित कर अनावेदिका को अपने दाम्पत्य जीवन की पुर्नस्थापना करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसकी छायाप्रति प्रकरण में पूर्व से अभिलेख पर है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 01 है। उसकी पत्नी बिना किसी उचित कारण के उसके माता–पिता के साथ निवास कर रही है। रेखा अकारण उसे त्याग कर उसके माता–पिता के साथ निवास कर रही है, जब कि वह अनावेदिका को साथ रखने को तैयार है। अनावेदिका को उसके द्वारा लाने हेतु हर संभव प्रयास किया जा चूका है लेकिन अनावेदिका ने उसके साथ रहने से साफ इंकार कर दिया है।

12– शिवलाल आ.सा. 02 ने अपने कथन में बताया है कि आवेदक शंभू उसका पुत्र है, जिसका विवाह अनावेदिका रेखा से दिनांक 26.02.2018 को ग्राम बालदा में हिन्दू रीति रिवाज अनुसार सम्पन्न हुआ था। विवाह के पश्चात अनावेदिका आज दिनांक तक केवल दो बार ग्राम खामरिया में उसके पुत्र के साथ निवास करने के लिये आई। अनावेदिका को लाने हेतु जब भी खबर पहुंचाते तो उसकी माता उसे भेजने से इंकार करती और बोलती की लड़की की पढ़ाई पुरी होने दो फिर भेजेंगे। अनावेदिका पढ़ाई पुरी होने के बाद उसके पुत्र के साथ निवास करने के लिये ग्राम खामरिया नहीं आई। अनावेदिका की माता कहती है कि अनावेदिका पढ़ी लिखी है वह ग्राम खामरिया में निवास नहीं करेगी। अनावेदिका की माता की उक्त शर्त को मानकर आवेदक ने आलोट में किराये से कमरा लिया लेकिन उसके पश्चात भी अनवेदिका केवल एक–दो माह रही और उसके बाद पुनः आवेदक को छोड़कर अपने पीहर चली गई। अनावेदिका के पीहर जाने के पश्चात जब अनावेदिका को लाने हेतु आवेदक व अन्य लोग गये तो अनावेदिका के पिता ने उन लोगों के साथ मारपीट की और बेईज्जत कर के बिना अनावेदिका के घर

से भगा दिया। उसके पश्चात भी सब रिश्तेदारों के समझाने के बाद अनावेदिका के पिता ने दो माह बाद खबर पहुंचाई की अनावेदिका को लेने आ जाओ। उसके बाद आवेदक और वह अनावेदिका को पुनः लेने के लिये गये तो अनावेदिका के पिता ने कहा कि किराये के मकान में अनावेदिका सास–ससुर के साथ नहीं रहेगी, वह अकेली आवेदक के साथ निवास करेगी। अनावेदिका दिन प्रतिदिन आवेदक व उन लोगों से लड़ाई झगड़ा करती थी और आवेदक को बिना बताये जब आवेदक मजदूरी करने बाहर गया था तब उन दोनों पति–पत्नी को घर से निकाल दिया।

13– आवेदक शिवलाल आ.सा. 02 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उन लोगों के घर से जाने के बाद भी अनावेदिका आवेदक को समय से खाना बनाकर नहीं देती थी और कोई काम भी नहीं करती थी। एक दिन अनावेदिका नानाजी की तबियत खराब होने का बहाना बनाकर ग्राम धाता, तहसील पीड़ावा चली गई और वहां पर जाने के बाद अनावेदिका ने आवेदक को कहा कि कार्यक्रम होने के पश्चात वह आउंगी लेकिन उसके बाद भी अनावेदिका आज तक नहीं आई और जब आवेदिका को लेने के लिये आवेदक, उसके मामा का लड़का विष्णु, मौसी का लड़का विशाल गये तो इन सभी के साथ अनावेदिका के मामा व अन्य रिश्तदारों ने मारपीट की और वे लोग जान बचाकर वापस आये। उसके पश्चात भी अनावेदिका को लाने हेतु कई रिश्तेदारों से सभी प्रकार के प्रयत्न कर लिये लेकिन अनावेदिका अधिक पढ़ी लिखी है और उसका लड़का चप्पल जूते की दुकान पर काम करता है इस कारण वह आना नहीं चाहती है। उसके पुत्र आवेदक ने अनावेदिका को लाने हेतु सूचना पत्र भी प्रेषित किया लेकिन लाने का दावा भी लगाया लेकिन वह आज दिनांक तक भी नहीं आई। उसका पुत्र आवेदक विगत तीन–चार वर्षों से असहाय लाचार अवस्था में जीवनयापन कर रहा है। अतः उसके पुत्र व अनावेदिका के मध्य हुये विवाह को विघटित किया जाये।

14– मूल अवधारणीय प्रश्न कई सहायक अवधारणीय प्रश्नों का समूह है जिन पर इस निर्णय के उत्तरोतर प्रक्रम पर विचार व विवेचन किया जा रहा है। इस संबंध में सर्वप्रथम यह देखना है कि **क्या उभयपक्ष हिन्दू होकर उन्हें अधिनियम के प्रावधान प्रयोज्य हैं ?** अभिकथनात्मक व साक्षात्मक स्तर पर यह तथ्य स्थापित व प्रमाणित है कि उभयपक्ष दमामी जाति के होकर हिन्दू धर्म के अनुयायी होकर अधिनियम की धारा 2(1)(ए) के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम के प्रावधान प्रयोज्य हैं।

15– अब यह देखना है कि **क्या उभयपक्षों के मध्य वैध विवाह का अस्तित्व होकर अनावेदिका ने आवेदक का परित्यक्त किया होकर आवेदक अनावेदिका के विरुद्ध अधियाचित सहायता का अधिकारी है ?** इस संबंध में

आवेदक ने अपनी तथा अपने पिता की साक्ष्य प्रस्तुत की है। अनावेदिका के एकपक्षीय रहकर आवेदक के मामले का अभिकथनात्मक व साक्षात्मक स्तर पर कोई खण्डन नहीं हुआ है। यहां यह कहना अनावश्यक न होगा कि एकपक्षीय मामले में भी आवेदक को अपना मामला विधितः अपेक्षित, आवश्यक, संतोषजनक, पर्याप्त व विश्वसनीय साक्ष्य से प्रमाणित करना होता है। इस संबंध में आवेदक द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की है, जिस अनुसार विवाह के पश्चात ही अनावेदिका का व्यवहार आवेदक व उसके घर वालों के साथ क्रूरतापूर्वक रहा है तथा आवेदक की ओर से अनावेदिका को लेने के लिये कई बार जाने पर भी अनावेदिका आवेदक के साथ नहीं आई है और अनावेदिका ने आवेदक का बिना किसी युक्तियुक्त कारण से परित्याग कर दिया है तथा अपने पत्नी धर्म का पालन भी नहीं किया है। आवेदक द्वारा अनावेदिका के विरूद्ध धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम का दावा न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर आवेदक को दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का अधिकारी होना घोषित किया था तथा अनावेदिका को आदेशित किया था कि वह निर्णय दिनांक से दो माह के भीतर आवेदक के साथ दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना कर अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का पालन करे लेकिन आवेदिका द्वारा न्यायालय द्वारा घोषित उक्त आदेश का आज दिनांक तक पालन नहीं किया गया है।

16– प्रश्नाधीन प्रकरण की समग्र साक्षात्मक पृष्ठभूमि में आवेदक और उसके पिता की एकपक्षीय अखंडित साक्ष्य पर अविश्वास करने का न्यायालय के समक्ष कोई युक्तियुक्त कारण न होकर आवेदक की एकपक्षीय अखंडित साक्ष्य से साक्षात्मक स्तर पर यह तथ्य भलीभांति स्थापित व प्रमाणित है कि उभयपक्षों के मध्य वैध विवाह का अस्तित्व होकर अनावेदिका आवेदक से विगत दो वर्षों से बिना युक्तियुक्त कारण के परित्याग कर रखा है। इस स्थापित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में आवेदक अनावेदिका से धारा 13(1) के परिप्रेक्ष्य में विवाह विच्छेद की डिक्री पाने का अधिकारी है। इस विवेचन के परिप्रेक्ष्य में आवेदक अधियाचित सहायता के संबंध में अपना मामला साक्षात्मक स्तर पर प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः प्रश्नगत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न आशय व प्रभाव का निर्णय व जयपत्र पारित किया जाता हैः–

(01) आवेदक व अनावेदिका के मध्य वर्ष 2018 में अनुष्ठापित विवाह को अधिनियम की धारा 13(1) में वर्णित आधार पर भंग करने की घोषणा की जाकर उनके वैध विवाह को भंग किया जाता है।

(02) आवेदक अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेगा।

(03) अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार, जो भी कम हो जोड़ा जावे।

तदानुसार जयपत्र बनाया जाए।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया।

मेरे उद्‌बोधन पर टंकित किया।

Sd/-
(महेश कुमार चौहान)
जिला न्यायाधीश आलोट के
न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश
आलोट, जिला–रतलाम (म.प्र.)

Sd/-
(महेश कुमार चौहान)
जिला न्यायाधीश आलोट के
न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश
आलोट, जिला–रतलाम (म.प्र.)

मात्र सामान्य जानकारी हेतु मान्य
शासकीय / विधिक उपयोग हेतु मान्य नहीं